रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 1989/ज्येष्ठ 15, 1911
[NO. 315] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 1989/JYAISTHA 15, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1989

का.आ. 404(अ) :—भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 16 दिसम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1182 (अ) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट उप-जीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने के अपने आशय की सूचना दी थी, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपेक्षित है ;

और उक्त धारा में निर्दिष्ट तीन मास की अवधि समाप्त हो गई है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित उप-जीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ती है ; अर्थात् : —

उक्त अधिनियम की अनुसूची में —

(1) भाग-क में मद (5) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि शामिल की जाएगी, अर्थात् : —

"(6) अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों में पटाखे और आतिशबाजी का विक्रय करने से संबंधित कार्य ।"

(2) भाग-ख में मद (11) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी अर्थात् : —

"(12) स्लेट पेन्सिलों का (जिसके अंतर्गत पैक करना भी है) विनिर्माण

(13) सुलेमानी पत्थर से उत्पादों का विनिर्माण

(14) विषाक्त धातुओं और पदार्थों जैसे कि सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बैन्जीन, नाइट्रोजोबेमार और एस्बेस्टस का उपभोग करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं ।"

[फा. सं.-एस-27025/58/86-सी.एल. (खण्ड-II)]

एस एच एस. अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1989

S.O. 401(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1182(E), dated the 16th December, 1988, the Central Government gave notice of its intention to add the occupation and processes specified in the said notification to the Schedule of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), as required under section 4 of the said Act ;

And whereas, the period of three months specified in the said section has expired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby adds the following occupation and processes in the Schedule to the said Act, namely :—

In the Schedule to the said Act, —

(1) in Part A, after item (5) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely :—

"(6) Work relating to selling of crackers and fire works in shops with temporary licences.";

(2) in Part B, after item (11) and the entry relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely :—

"(12) Manufacture of slate pencils (including packing).

(13) Manufacture of products from agate.

(14) Manufacturing Processes using toxic metals and substances such as lead, mercury, manganese, chromium, cadmium, benzene, pesticides and asbestos.".

[F. No. S-27025|58|86-CL (Vol.II)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989

IndiaCode